

उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिला बून्दी(राज0)

दायर दिनांक: 15.11.2021

152/2021

2021/333

श्रीयोराम (आर.ए.एस.)

- लाडू जाति जाट निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
- बैवा लाडू जाति जाट निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
- पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
- जगदीश नाबालिग जयें संरक्षक माता मीरा पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
- सत्यनारायण जाति जाट निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
- सत्यनारायण जाति जाट निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
- पुत्री सत्यनारायण जाति जाट निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
- पत्नी बद्रीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
- श्रीमति नवासी बाई पत्नी कालूलाल जाति धाकड निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।

—वादीगण

बनाम

- बद्री आ0 आँकार जाति जाट निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
- गणेश आ0 हनुमान जाति जाट निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
- सोना आ0 हनुमान जाति जाट निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
- शिवा पुत्री हनुमान जाति जाट निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
- सम्यत बाई बैवा हनुमान जाति जाट निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
- सन्तोष बैवा लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
- कमल आ0 रामनारायण जाति जाट निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
- श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय, बैंक ऑफ बडौदा शाखा नैनवाँ तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
- श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय, आईसीआईसीआई बैंक शाखा देई तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
- श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 53, आर.टी एक्ट एवं 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति:-

वादीगण एवं प्रतिवादीगण

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम बम्बूली पटवार हल्का बम्बूली तहसील नैनवाँ की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 की कृषि भूमि खाता संख्या 46 की खसरा संख्या 110 रकबा 2.7425 हे0 व खाता संख्या 45 की खसरा संख्या 1096 रकबा 1.0760 हे0, 1118 रकबा 2.1600 हे0, खसरा संख्या 1437/1115 रकबा 0.2502 हे0, खसरा संख्या 1438/1115 रकबा 0.4455 हे0, खसरा संख्या 10.01.2022

संशोधित निर्णय दिनांक 10.01.2022

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (राज0)

Reader/Decesion/2021

0.8172

10/1119 रकबा 0.1821 हे०, खसरा संख्या 1441/1119 रकबा 0.6269 हे०, खसरा संख्या 1443/438 रकबा 0.3236 हे०, खसरा संख्या 211 रकबा 0.8414 हे०, खसरा संख्या 213 रकबा 0.3964 हे०, खसरा संख्या 259 रकबा 1.4400 हे०, खसरा संख्या 383 रकबा 2.0387 हे०, खसरा संख्या 421 रकबा 1.0598 हे०, खसरा संख्या 424 रकबा 0.0809 हे०, खसरा संख्या 615 रकबा 0.1861 हे०, खसरा संख्या 634 रकबा 0.1618 हे०, खसरा संख्या 638 रकबा 0.5016 हे०, खसरा संख्या 840 रकबा 1.9901 हे० कुल किता 18 कुला रकबा 16.5036 हेक्टेयर भूमि स्थित है। जो चाह संख्या 637 से सिंचित होती है। यह कि गत सप्ताह से वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य के०सी०सी० व राजस्व लगान की अदायगी को लेकर विवाद होने लगा तो वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 से राजस्व रिकार्ड में विभाजन करवा कर खाता पृथक-पृथक करवाकर तकजा किया तो प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 ने साफ मना कर दिया। यही वाद का कारण है। यह कि वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि का विभाजन वादीगण व प्रतिवादीगण के कब्जानुसार व हिस्सानुसार करवाये और अपने-अपने खाता, जमाबंदी व खसरा गिरदावरी अलग-अलग करवाये। यह की वादीगण 8 व 9 खसरा संख्या 110 रकबा 0.2993 की केता स्वामी है। जिनका जमाबन्दी में बतौर खातेदार नाम दर्ज हो चुका है किन्तु राजस्व जमाबंदी में खातेदार दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारी की लिपिकीय त्रुटि के कारण वादीगण 8 व 9 को जाति धाकड़ दर्ज करने के स्थान पर जाति जाट अंकित कर दी है जिसे दुरुस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम बम्बूली की खाता संख्या 46 व 45, नकल नक्शा ट्रेस और शपथ-पत्र आदि पेश किये। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने राजीनामा प्रस्तुत कर विभाजन किये जाने हेतु निवेदन किया पेश किया। वाद पत्र में दिनांक 24.11.2021 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई।

प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार नैनवां से बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर जाकर बंटवारा रिपोर्ट तैयार की गई। जिसके अनुसार बंटवारा राजीनाम के अनुसार निम्नानुसार किये जाने हेतु निवेदन किया गया है-

क्र.सं.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हेक्टेयर
1.	मुकेश आ० लादू मोहनी पत्नी लादू मीरा पत्नी जगदीश नाबा० राजवीर पि० जगदीश कौम जाट सा. देह खाते० रहन आईसीआईसीआई बैंक लि० देई मु.वि.क.	1118	0.8172
		615	0.1861
		840	1.9901
		कुल किता 03	कुल रकबा 2.9934
2.	राजेश आ० सत्यनारायण धनराज पि० सत्यनारायण कौम जाट सा. देह खाते. रहन बैंक ऑफ बडौदा नैनवां मु.वि.क. राजा बाई पुत्री सत्यनारायण कौम जाट सा. देह खाते० रहन बैंक ऑफ बडौदा नैनवां मु.वि.क.	259	1.4400
		1438/1115	0.2837
		1441/1119	0.4813
		211	0.8414
		638	0.2508
	कुल किता 5	कुल रकबा 3.2972	
3.	लाड़ बाई पत्नी बद्रीलाल नवासी बाई पत्नी कालूलाल कौम धाकड़ निवासी बम्बूली खातेदार	110	0.2993
4.	बद्री आ० आँकार कौम जाट सा. देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बडौदा नैनवां मु.वि.क.	1438/1115	0.1618
		1441/1119	0.1456
		1096	1.0760
		1118	0.8980
		213	0.3964

ज्येष्ठ आर्यवर्षी
नैनवां (पूर्व)

गणेश आ० हनुमान साना पुत्री हनुमान शिवा पुत्री हनुमान सम्पत बाई बेवा हनुमान सन्तोष पत्नी स्व. लक्ष्मीनारायण कौम जाट सा. देह खाते० रहन बैंक ऑफ बडौदा नैनवां मु.वि.क. हिस्सा सन्तोष व सम्पत बाई सम्पत बाई पत्नी एवं हनुमान कौम जाट सा. देह खातेदार	110	0.2913
	1443 / 438	0.3236
	कुल किता 07	कुल रकबा 3.2927
	383	2.0387
	421	1.0598
	424	0.0809
	634	0.1618
	कुल किता 04	कुल रकबा 3.3412
	1437 / 1115	0.2502
	1440 / 1119	0.1821
	1118	0.4448
	कुल किता 03	कुल रकबा 0.8771
	638	0.2508
	110	2.1519
कुल किता 02	कुल रकबा 2.4027	
7. कमल आ० रामनारायण कौम जाट सा. देह खातेदार		

वाद पत्र, शपथ पत्र एवं प्रस्तुत अन्य रिकार्ड दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां के निर्णय दिनांक 24.11.2019 की प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार नैनवां से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किया गया। बंटवारा रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बंटवारा रिपोर्ट भूमि का विभाजन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है। ग्राम बम्बूली पटवार हल्का बम्बूली तहसील नैनवां की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 की कृषि भूमि खाता संख्या 46 की खसरा संख्या 110 रकबा 2.7425 हे० व खाता संख्या 45 की खसरा संख्या 1096 रकबा 1.0760 हे०, 1118 रकबा 2.1600 हे०, खसरा संख्या 1437/1115 रकबा 0.2502 हे०, खसरा संख्या 1438/1115 रकबा 0.4455 हे०, खसरा संख्या 1440/1119 रकबा 0.1821 हे०, खसरा संख्या 1441/1119 रकबा 0.6269 हे०, खसरा संख्या 1443/438 रकबा 0.3236 हे०, खसरा संख्या 211 रकबा 0.8414 हे०, खसरा संख्या 213 रकबा 0.3964 हे०, खसरा संख्या 259 रकबा 1.4400 हे०, खसरा संख्या 383 रकबा 2.0387 हे०, खसरा संख्या 421 रकबा 1.0598 हे०, खसरा संख्या 424 रकबा 0.0809 हे०, खसरा संख्या 615 रकबा 0.1861 हे०, खसरा संख्या 634 रकबा 0.1618 हे०, खसरा संख्या 638 रकबा 0.5016 हे०, खसरा संख्या 840 रकबा 1.9901 हे० कुल किता 18 कुला रकबा 16.5036 हेक्टेयर भूमि का विभाजन निम्नानुसार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं-

क्र.सं.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हेक्टेयर
1.	मुकेश आ० लादू मोहनी पत्नी लादू मीरा पत्नी जगदीश नाबा० राजवीर पि० जगदीश कौम जाट सा. देह खाते० रहन आईसीआईसीआई बैंक लि० देई मु.वि.क.	1118	0.8172
		615	0.1861
		840	1.9901
		कुल किता 03	कुल रकबा 2.9934
2.	राजेश आ० सत्यनारायण धनराज पि० सत्यनारायण कौम जाट सा. देह खाते० रहन बैंक ऑफ बडौदा नैनवां मु.वि.क. राजा बाई पुत्री सत्यनारायण कौम जाट सा. देह खाते० रहन बैंक ऑफ बडौदा नैनवां मु.वि.क.	259	1.4400
		1438 / 1115	0.2837
		1441 / 1119	0.4813
		211	0.8414
	638	0.2508	

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (पुलवा)

बाई पत्नी बद्रीलाल नवासी बाई पत्नी बद्रीलाल कौम धाकड़ निवासी बम्बूली खातेदार आ० आँकार कौम जाट सा. देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बडौदा नैनवां मु.वि.क.	कुल किता 5	कुल रकबा 3.2972
	110	0.2993
	1438 / 1115	0.1618
	1441 / 1119	0.1456
	1096	1.0760
	1118	0.8980
	213	0.3964
	110	0.2913
	1443 / 438	0.3236
	कुल किता 07	कुल रकबा 3.2927
गणेश आ० हनुमान साना पुत्री हनुमान शिवा पुत्री हनुमान सम्पत बाई बेवा हनुमान सन्तोष पत्नी स्व. लक्ष्मीनारायण कौम जाट सा. देह खाते० रहन बैंक ऑफ बडौदा नैनवां मु.वि.क. हिस्सा सन्तोष व सम्पत बाई	383	2.0387
	421	1.0598
	424	0.0809
	634	0.1618
	कुल किता 04	कुल रकबा 3.3412
6. सम्पत बाई पत्नी एवं हनुमान कौम जाट सा. देह खातेदार	1437 / 1115	0.2502
	1440 / 1119	0.1821
	1118	0.4448
	कुल किता 03	कुल रकबा 0.8771
7. कमल आ० रामनारायण कौम जाट सा. देह खातेदार	638	0.2508
	110	2.1519
	कुल किता 02	कुल रकबा 2.4027

नजरी नक्शा बंटवारा प्रस्ताव को परिशिष्ट "क" नाम दिया गया है, जो इस निर्णय का अनिल अंग होगा। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी के विभाजन से हिस्से में आयी भूमि पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करें न ही किसी से करवायें। तहसीलदार नैनवां को डिकरी प्रर्चा जारी हो।
निर्णय मेरे द्वारा दिनांक 10.01.2022 को लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Kulraj
नैनवां मु.वि.क.